न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/55/2025 रजू दिनांकः 05.05.2025 रजि0 न0 2025/94

अपीलार्थीः–

श्री लक्ष्य दुआ पुत्र श्री कृष्ण कुमार दुआ, निवासी 185 बी, स्कीम न0 2, जुबली बास लाजपत नगर अलवर, जिला अलवर 302020 (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अवलर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 20.05.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन दिनांक 28.03.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.05.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक नविवि/आर.टी.आई./2025/414 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 28.03.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में प्रार्थी को न्यास पत्र 117 दिनांक 02.04.2025 को चाही गई सूचना संधारित नहीं होने के कारण नये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत नहीं होने के कम में सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब एवं संलग्नक पत्रादी के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में न्यास पत्र 117 दिनांक 02.04.2025 को चाही गई सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत नहीं होने के कम में सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)